न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O), गुडामालानी

पीठासीन अधिकारी श्री प्रमोद कुमार आर.ए.एस

संख्या :- 110/2019
(RCMS No. 2020/00271)

वादीनी :-

1. भंवरी पुत्री चोपा पत्नी केसाराम
   जाति कुंभार निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुडामालानी
   हाल निवासी मिंडावास तहसील बागोडा जिला जालौर

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. फाऊ पुत्री चोपा पत्नी कृष्ण जाति कुंभार निवासी जोधावास जिला जालोर
2. देसू पुत्री चोपा पत्नी गोवा जाति कुंभार निवासी सोढों की ढाणी तहसील गुडामालानी
3. गंगा पत्नी चोपा जाति कुंभार निवासी वाटेरा तहसील बागौडा जिला जालोर
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 40 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 8 हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम वास्ते पाने घोषणा, बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :-

1. श्री डालूराम चौधरी अधिवक्ता वादीनी

-:: **निर्णय** ::-

दिनांक : 16/9/22

वादीनी ने यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 40, 188 एवं हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम 8 का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया। प्रस्तुत वाद संक्षिप्त में इस प्रकार है कि वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 हिन्दू विधि से शासित हैं तथा एक ही संयुक्त परिवार से हैं जो पूर्व पुरूष जोईत के वंशज हैं जिनकी वंशावली निम्न प्रकार है :-

चोपा

फाऊ (पुत्री) देसू (पुत्री) [illegible] (पुत्री) गंगा (पत्नी)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:05:42 IST
Reason: SelfAttested

वादीनी एवं प्रतिवादी सं[illegible] 1 ता 3 का संयुक्त [illegible] का खेत खसरा नम्बर 420 रकबा 15-10 बीघा ग्राम सोढों की ढाणी पटवार क्षेत्र रतनपुरा तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर में अवस्थित है। यह भूमि पूर्व पुरूष जोईता के नाम की थी, जोईता के फौत होने से उनके पुत्र

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के पिता व पति चोपा के नाम खातेदारी में दर्ज हुई। चोपा के स्वर्गवास होने पर वादनी उनके प्रथमश्रेणी की वारिशान होने से हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 8 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 40 के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के साथ सह खातेदार हो गयी। स्व0 चोपा के देहान्त पर उत्तराधिकारी का नामान्तरकरण संख्या 187 प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 ने राजस्व कार्मिकों से मिलावट कर केवल अपने नाम करवा लिया जबकि चोपा के देहान्त के बाद उनकी वारिशान वादीनी के हक अधिकार भी उक्त आराजी में पैदा हो चुके थे। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का उक्त आराजी में अपने हक हिस्से अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है। राजस्व रेकर्ड में गलत इन्द्राज के कारण प्रतिवादीगण वादीनी के हक हिस्से की भूमि को बेचान करने पर आमादा है तथा वादीनी को अपने पैतृक हक हकूकों से महरूम कर वादीनी को उक्त आराजी से बेदखल करने पर आमादा है। जिससे वादीनी ने पटवारी से सम्पर्क कर अपने खेत के राजस्व रेकर्ड की नकलें ली तब पता चला कि ग्राम सोढों की ढाणी में स्थित भूमि खसरा नम्बर 420 में वादीनी का नाम रेकर्ड में दर्ज नहीं है तथा तहसील बागौड़ा के ग्राम बाटेरा में स्थित भूमि में वादीनी का नाम वतौर चोपा की विधिक वारिश के रूप में खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी में भी वादीनी ने अपना नाम दर्ज कराने का प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 से कहा तो उन्होनें मना कर दिया तथा भूमि को बेचान करने पर उतारू हो गये जिससे अपने पैतृक हकों की घोषणा का वाद लाना आवश्यक होने से यह वाद पत्र पेश किया गया।

वादीनी का वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाबजून नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

वकील वादीनी द्वारा अपने वाद के समर्थन में मौखिक साक्ष्य स्वरूप PW-1 भंवरी, PW-2 वदाराम, [illegible] नारायणदान, PW-4 फगलूराम, PW-5 रामाराम को न्यायालय में उपस्थित [illegible] लेखबद्ध करवाये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य में Exp-1 ग्राम [illegible] की ढाणी के खसरा नम्बर 420 की जमाबन्दी संवत् 2072—2074, Exp-2 [illegible] सोढों की ढाणी नामा.सं. 187 की नकल, Exp-3 ग्राम बाटेरा के खसरा नम्बर 40 व 74 की जमाबन्दी संवत् 2075—2078, Exp-4 ग्राम सोढों की ढाणी के खसरा नम्बर 420 की जमाबंदी संवत् 2064—2067, ExpA-5 भामाशाह कार्ड की प्रति, ExpA-6 वादीनी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:05:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर, गुड़ामालानी

[illegible]

[illegible]

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज राजस्व रेकर्ड व वादीनी वकील द्वारा प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेज साक्ष्य का गहनता से अवलोकन एवं मनन किया। वादग्रस्त भूमि सरहद मौजा सोढों की ढाणी के खेत खसरा संख्या 420 रकबा 15–10 बीघा भूमि वादीनी व प्रतिवादीगण की पैतृक भूमि है। वादीनी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 पूर्व खातेदार चोपा की पुत्रियां है। हिन्दू उत्तराधिकारी की अधिनियम की धारा 6 व 8 के अनुसार हिन्दू पुरूष के पुत्र–पुत्री, पौत्र–पौत्री एवं प्रपौत्र–प्रपौत्री का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में जन्म से ही अधिकार प्राप्त हो जाता है। राजस्व रेकर्ड व वादीनी वकील द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों का गहराई से अध्ययन करने पर यह ज्ञात होता है वादग्रस्त भूमि पैतृक होने से वादीनी उक्त आराजी में प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के साथ वादीनी के भी पैतृक हक निहित है मौखिक साक्ष्य से वादीनी का हक हिस्सानुसार कब्जा काश्त होने की भी पुष्टि होती है। चूंकि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 को उक्त आराजी विरासत के रूप में पूर्व पुरूष चोपा की मृत्यु होने पर जरिये फौतगी नामान्तरण प्राप्त हुई है। दस्तावेजी साक्ष्य में प्रस्तुत प्रदर्श 8 ता 10 ग्राम बाटेरा की भूमि में चोपा की फौतगी पर प्रतिवादीगण के साथ साथ वादीनी का नाम भी चोपा की आराजी में वतौर अधिकार वारिसान अंकित किया गया है परन्तु हस्तगत वाद पत्र की विवादित आराजी मौजा सोढों की ढाणी के खसरा नम्बर 420 की आराजी में वादीनी को पैतृक हकों से वंचित रखते हुए प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 का नाम ही राजस्व रेकर्ड में अंकित किया गया है। वादीनी चोपा की पुत्री होने से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 को चोपा की फौतगी से प्राप्त भूमि में पैतृक हक निहित होने से वादग्रस्त भूमि में अपने हकों घोषित करवाने की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:45:42 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर गुडामालानी

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादीनी का वाद पत्र स्वीकार योग्य होने से वाद वादीनी स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त कृषि भूमि तहसील गुड़ामालानी पटवार क्षेत्र रतनपुरा के राजस्व ग्राम सोढों की ढाणी के खेत खसरा नम्बर 420 रकबा 15–10 बीघा किस्म वारानी सोयम भूमि में वादीनी को 1/4 हिस्से की खातेदार टिनेन्ट घोषित किया जाता है, इसी अनुसार राजस्व रेकर्ड दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार गुडामालानी इसी प्रकार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी
सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

निर्णय आज दिनांक 16.9.22 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(प्रमोद कुमार)
सहायक कलक्टर
(S.D.O) गुडामालानी
सहायक कलक्टर, गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2022.09.23 12:05:42 IST
Reason: SelfAttested